

Sl. No - 03

he
1.12.14

Time 1.00 P.M.

¹[प्ररूप 2ख
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

झारखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं.

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है

जो विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के

भाग सं. में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 06. दिसंबर 2014 (अ. सं. 2014) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का
नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम दाउद मरांडी

पिता/माता/पति का नाम सुतार मरांडी

उसका डाक पता ग्राम - पालिया लाहा (सोबले लोका), पो. - पालिया लाहा

..... थाना - पाकुड़िया, जिला - पाकुड़, (झारखण्ड) पिन नं. 816117

उसका नाम D.6 महेशपुर अर. अर. अर. विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 195 में क्रम सं. 44 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

| प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------|
| क्रम सं. | निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग की क्रम सं. | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 195 - | 439 - | पुरन मुरमु | पुरन मुरमु | 01-12-14 |
| 2. | 145 - | 517 - | सेफानिएल हेम्बरम | सेफानिएल हेम्बरम | 1-12-14 |
| 3. | 195 - | 373 - | उमील डुडु | उमील डुडु | 01-12-2014 |
| 4. | 197 - | 531 - | विनोद कु. मगर | विनोद कु. मगर | 1-12-14 |
| 5. | 211 - | 220 - | इसलाम मिर्चा | इसलाम मिर्चा | 1-12-2014 |
| 6. | 192 - | 833 - | बिजय मरांडी | बिजय मरांडी | 01-12-14 |
| 7. | 194 - | 799 - | अशोक कु. सिंह | अशोक कु. सिंह | 01-12-14 |
| 8. | 194 - | 193 - | लाल बाबु सेख | लाल बाबु सेख | 01-12-14 |
| 9. | 145 - | 872 - | दबीचन हेम्बरम | दबीचन हेम्बरम | 01-12-2014 |
| 10. | 195 - | 427 - | शकर मुरमु | शकर मुरमु | 01-12-14 |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, ~~भ्रम~~ 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

X (ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में
..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में समाजवादी पार्टी (समा)
..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i)
(ii)
(iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी भाषा
(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।


! मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं जन्म/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के

06 अर्थशास्त्र (क्षेत्र) के सम्बंध में अनुसूचित *** जन्म/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण

निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ***** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख ... 01.12.14


01.12.2014
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

! यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

1[भाग 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

हाँ/नहीं

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

X (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। *नहीं*

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक *2204*
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य *2204*
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था *2204*
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) *2204*
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था *2204*
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने की राशि उपदर्शित करें) *2204*
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) *2204*
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : **हाँ/नहीं**
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ *2204*
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे *2204*
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं *2204*
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) *2204*
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) *2204*

स्थान : - *पिंडू*

तारीख : *01.12.14*

Darshan

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

01.12.2014


भाग 4
(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं.03.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में1.12.14..... (तारीख) को1.00 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा
परिदत्त किया गया।

तारीख1.12.14.....

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।


रिटर्निंग ऑफिसर 1.12.14
निर्वाची वदाधिकारी
06-महेरापुर (अ० न० आ०.)
बिधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

भाग 5
नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं
निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



SERIAL NO. 19581
DATE 01.12.14

06 मंडेशपुर (अ. सं. 576 577)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं दाउद मरांडी ** पुत्र/पुत्री/पत्नी सुकुमार मरांडी
आयु 33 वर्ष, जो ग्राम पलियावाडा (सोरोकेसोला), जिला-पलियावाडा
जिला-पाकुड़, जिला-पाकुड़ (अ. सं. पी.क. 816117 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं समाजवादी पार्टी (स.पा.) (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा नाम 06 मंडेशपुर (अ. सं. 576 577), राज्य-झारखण्ड (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 195 के क्रम सं. 44 पर प्रविष्ट है।

मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9955557499 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 2204 है।

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) 2204 है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति:

| क्रम सं. | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में) |
|----------|--------------|------|---|---|
| 1. | स्वयं | 2204 | 2204 | 2204 |
| 2. | पति या पत्नी | 2204 | 2204 | 2204 |
| 3. | आश्रित - 1 | 2204 | 2204 | 2204 |
| 4. | आश्रित - 2 | 2204 | 2204 | 2204 |
| 5. | आश्रित - 3 | 2204 | 2204 | 2204 |


Ad. m...
01-12-14

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

| | | |
|-----|---|-------|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | शून्य |
| (ख) | सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है। | शून्य |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | शून्य |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | शून्य |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | शून्य |
| | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं | शून्य |



Date of report

निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से

| | | |
|-----|---|---|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | मुरली न्यायिक पदाधिकारी जी.आर.नं. 160/09 संज्ञान - 18-03-09 |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है। | 426/427 मत 50 विरुद्ध एवं 3 लोक सभ्यति क्लबका कार्यवाहीगत |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | शून्य |

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

| | | |
|-----|---|-------|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। | शून्य |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | शून्य |
| (ग) | अधिरोपित दंड | शून्य |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति | शून्य |


(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

- टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
 टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
 टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
 टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
 टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

Date of award

| विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|--|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| (i) हाथ में नकदी | 95,000/- | 60,000/- | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, अवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातों भी हैं), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा ब्यौरे ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | आर.टी.ए. स्टेट बैंक - पटना ब्रंच - 26364/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (v) किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vi) मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | मोटर कार्डकिल विटो स्कीम 5H160 89/20 792000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vii) जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | सोना 2 मी 60,000/- | सोना 4 मी 20 मी 1,00,000/- | शून्य | शून्य | शून्य |
| (viii) कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/ हित का मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ix) समग्र कुल मूल्य | 2,60,264/- | 1,60,000/- | शून्य | शून्य | शून्य |




44-702

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|--|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | 35 बीघा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | 12 एकड़ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | हाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 17,50,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



base format

4-2-2021

| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|--|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| (iii) | वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | एकका/मकान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 2500 वर्ग फुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 2150 वर्ग फुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | किसासत है | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 10 लाख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (v) | अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vi) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | 27,50,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |




Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signature/initials on the left margin.

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|---|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | | | | | |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य दायित्व | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | दायित्वों का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | आय-कर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | धनकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सेवाकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विक्रयकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (iii) | सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लम्बित है का वर्णन करें। | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



शून्य-शून्य

शून्य-शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं रकालि
(ख) प्रति या पत्नी उ.ए.पी.

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- मैट्रिक - उच्च विद्यालय मुहनाजोडी - इरुका, 1996

..... इन्टरमीडिएट - स्नातक परीक्षा महाविद्यालय - इरुका 2001
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण


| | | | | |
|----|--|--|--|---------------|
| 1. | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कु. दाउद मरांडी | | |
| 2. | डाक का पूरा पता | पता - पलिचादाडा (सौगलेटोका) पोस्ट - पलिचादाडा, बाना - पाकुड़ जिला - पाकुड़ (झारखण्ड) | | |
| 3. | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 06 महेष्वापुर (आठ-जिबे आठ) झारखण्ड | | |
| 4. | उपरोक्त जनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें) | समाजवादी पार्टी | | |
| 5. | उपरोक्त अभ्यर्थी के संबंधित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। | लागू नहीं होगा | | |
| 6. | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए] | 01 (एक) | | |
| 7. | ... | ... का स्थायी लेख सं. | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है | कुल दर्शित आय |
| | (क) अभ्यर्थी | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (ख) पति या पत्नी | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (ग) आश्रित | शून्य | शून्य | शून्य |



Daud Marandi

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

| विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|--|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| क. जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य) | | | | | |
| ख. स्थावर आस्तियाँ | 10,00,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| I. स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| II. क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य) | 17,50,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दायित्व | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (i) सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (i) सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें। | | | | | |




Dated 14/08/2022

14-08-2022

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 01-12-2014 को सत्यापित किया गया।

*Identified by filed by me
Md. mm.
Advocate
01.12.14*

*Identified by Md. S Ansari
Advocate, Substantially affirmed and signed
01.12.14*

Saved Ansari

अभिसाक्षी
01.12.14

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे - 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।